

न्यायालय अपर समाहर्ता, राँची।

अनुसूची 14- फारम सो 562

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक से तक

जिला- राँची, केस का प्रकार-लगान निर्धारण अपील वाद संख्या -03/2020-21

त्रिलोकन नाथ साहु
वगै
बनाम
श्रीमती ललिता देवी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------

10/12/2022

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक त्रिलाकी नाथ साहु एवं अन्य द्वारा न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर, राँची के लगान निर्धारण वाद संख्या-25/2019-20 टी0आर0 नं0-31/ 2019-20 में पारित आदेश (दिनांक-06.07.2020) के विरुद्ध अपील आवेदन दिया गया है। आवेदन के साथ धारा-5 के अन्तर्गत Limitation Act Petition भी दायर किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:-

मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
नगडी	122	418	279	23 डी0

अपीलार्थीगण का कहना है कि उपरोक्त लगान निर्धारण वाद में पारित उपरोक्त आदेश के बारे में जानकारी गाँव में उठे हुए अफवाह के कारण दिनांक 05.10.2020 को हुई उसके बाद अपीलार्थीगण ने निम्न न्यायालय से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर कालबाधित आवेदन के साथ उपरोक्त लगान निर्धारण वाद के विरुद्ध यह अपील दायर किये। न्यायालय के द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकृत करने के लिए प्रतिवादी श्रीमति जयमन देवी को सामान्य नोटिस के साथ साथ निबंधित डाक के माध्यम से भी नोटिस निर्गत किया गया।

✓

जब सामान्य नोटिस एवं निबंधित डाक के माध्यम से निर्गत नोटिस प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रतिवादी इस वाद में उपस्थित नहीं हुई तो स्थानीय दैनिक भाष्कर समाचार पत्र के दिनांक 07.08.2021 की प्रति में नोटिस प्रकाशित किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थीगण ने इस अपील में दाखिल किया है।

उपरोक्त दैनिक समाचारपत्र में नोटिस प्रकाशन के बाद भी जब प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई तथा प्रतिवादी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो इस वाद में एकपक्षीय सुनवाई हेतु अपीलार्थीगण के अपील आवेदन तथा कालबाधित माफी आवेदन को सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए यह अपील एकपक्षीय सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया।

अपीलार्थीगण का कथन है कि मौजा नगड़ी, थाना नगड़ी, थाना नं० 122, जिला राँची के खेवट नं० 11 आर० एस० खाता नं० 418 प्लॉट नं० 279 रकबा 01 एकड़ 19 डिसमिल आर० एस० खतियान में जगरनाथ साहु वगैरह के नाम से बकास्त मालिक दर्ज है। उपरोक्त प्लॉट नं० 279 सहित अन्य जमीनों के बटवारा के लिये उक्त जगरनाथ साहु ने अपने अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध बटवारा वाद सं० 31 वर्ष 1950 विशेष अवर न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय राँची, की अदालत में दाखिल किया जिसमें दिनांक 29.03.1952 को डिक्री पारित करते हुए हिस्सेदारों का अलग अलग तख्ताबंदी किया गया एवं दखलकाबिज किया गया। उपरोक्त तख्ताबन्दी के अनुसार प्लॉट नं० 279/ए रकबा 60 डिसमिल जमीन अपीलकर्तागण के पूर्वज वो बटवारा वाद के वादी जगरनाथ साहु को उनके हिस्से में प्राप्त हुआ।

अपीलार्थीगण का कहना है कि प्लॉट नं० 279/बी रकबा 59 डिसमिल जमीन उक्त बटवारा वाद के प्रतिवादीगण कपिलनाथ साहु एवं उनके चार पुत्रों— ठाकुर साहु, जगदीश साहु, सीताराम साहु एवं बैजनाथ साहु उर्फ बैजू साहु को सामिलात रूप से प्राप्त हुआ। उक्त बटवारा वाद के तख्ताबन्दी अनुसार सभी पक्ष अपने अपने हिस्से में प्राप्त जमीन पर हक वो स्वत्व के साथ दखलकार हुए।

अपीलार्थीगण के अनुसार जगरनाथ साहु की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 15.3.1992 को गाँव में हुए ग्राम पंचायत बटवारा वाद सं० 05/1992 के अनुसार जगरनाथ साहु के पुत्रों अनन्त राम साहु एवं केदारनाथ साहु को उक्त मौजा नगड़ी के प्लॉट नं० 279 में क्रमशः 26 डिसमिल एवं 34 डिसमिल जमीन हिस्सा में मिला।

अपीलार्थीगण का यह भी कहना है कि यद्यपि प्रतिवादी श्रीमति ललिता देवी के बिक्रेता के पास जमीन नहीं बचा था जिसे कि वे प्रतिवादी को बिक्री कर सकें इसलिये प्रतिवादी तथा उसके बिक्रेता ने जालसाजी रच कर जाली मालगुजारी रसीद के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में निबंधित बिक्रय पत्र संख्या 9216 दिनांक 10.12.2018 का निष्पादन छलपूर्वक कर दिया जो कि बिक्रयपत्र में मौजा नगड़ी के रजिस्टर-2 के भोलुम नं० 2 के पेज नं० 781 में प्लॉट नं० 279 रकबा 01 एकड़ 19 डिसमिल जगरनाथ साहु वगैरह के नाम पर दर्शाया गया है जो कि इस बात का प्रमाण है कि प्रतिवादी ने यह लगान निर्धारण वाद सं० 25/2019-20 टी०आर० संख्या 31/2019-20 को बिना किसी जाँच पड़ताल के तथा गलत तरीके से निम्न न्यायालय को अंधेरे में रखकर स्वीकृत करा लिया है, जो कि अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाता है।

अपीलार्थीगण के अनुसार विवादित भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थीगण का दखल कब्जा पूरे हक वो स्वत्व के साथ चला आ रहा है जिसपर वे दखलकार हैं तथा प्रतिवादी अथवा उसके बिक्रेतागण कभी भी विवादित जमीन पर दखलकार नहीं रहे क्योंकि प्रतिवादी के बिक्रेता को उक्त प्लॉट में जमीन ही नहीं मिला है।

अपीलार्थीगण के अनुसार उपर्युक्त तथ्यों की विवेचना करने यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त विवादित जमीन पर अपीलार्थीगण का दखल कब्जा पूर्व से ही चला आ रहा है एवं प्रतिवादी के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर रॉची के न्यायालय से बिना किसी जाँच पड़ताल के

✓


तथा अपीलार्थीगण अथवा ग्रामीणों तथा संबंधित पक्ष को बिना किसी प्रकार की नोटिस दिये उपरोक्त लगान निर्धारण वाद सं० 25/2019-20 टी०आर० सं० 31/2019-20 को स्वीकृत करा लिया है जो कि तर्कसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है।


अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का पक्ष नहीं सुना गया है। अंचलाधिकारी नगड़ी द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व कागजात एवं स्थल जांच उचित तरीके से नहीं किया गया है। जो न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में निम्न न्यायालय के द्वारा निर्धारण वाद सं० 25/2019-20 टी०आर० सं० 31/2019-20 में दिनांक-06.07.2020 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए यह वाद प्रतिप्रेषित किया जाता है। निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व कागजात एवं स्थल जांचोपरान्त एवं सभी पक्षों को नोटिस निर्गत कर विधिवत सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया जाय।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय एवं अंचलाधिकारी नगड़ी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
राँची।


अपर समाहर्ता,
राँची।